राष्ट्रपति को विश्वास दिलाता हूं कि यू.पी.ए. सरकार डॉ. मनमोहन सिंह एवं श्रीमती सोनिया गांधी जी के कुशल नेतृत्व में देश को और सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए, गरीब एवं आम जनता के हितों की रक्षा के लिए सभी प्रकार के घोटालों से सख्ती से निपटने के लिए तथा महंगाई को रोकने की सरकार की वचनबद्धता एवं विश्वसनीयता को कायम रखने के और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करेगी ताकि आपका और देश की आम जनता का यू.पी.ए. सरकार पर विश्वास बना रहे।

अभिभाषण के प्रति समर्थन एवं अनुमोदन।

[अनुवाद]

***श्री शिवराम गौडा** (कोप्पल): आज देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, केन्द्र सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है और यह हमेशा राज्य सरकारों को दोषी मान रही है और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच अच्छे संबंध नहीं हैं।

सरकार को चाहिए कि वह किसानों को उनकी फसलों का समर्थन मूल्य मुहैया करे। पिछले चार-पांच वर्षों में उर्वरक, रासायन, पेट्रोल, डीजल, मजूदरी इत्यादि सब कुछ महंगा हो गया है।

केन्द्र सरकार सुनिश्चित करती है कि बढ़िया शिक्षा और रोजगार गारंटी दी जाए जबकि न तो बढ़िया शिक्षा उपलब्ध है और न ही रोजगार की गारंटी आई इस कारण से अपराध, नक्सल गतिविधियों आदि में बढ़ोत्तरी हो रही है।

भ्रष्टाचार देश में एक बीमारी की तरह फैल रहा है। हमें राजनीति में, अफसरशाही में भ्रष्टाचार को रोकने और 2जी स्पैक्ट्रम, सी.डब्ल्यू.जी, आदर्श हाऊसिंग सोसायटी इत्यादि घोटालों को रोकने के लिए विशेष कानून बनाने की जरूरत है।

महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापिस लाने जिन लोगों के नाम यह रकम जमा है उनका पता लगाने इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं है और न ही इस बात का कोई उल्लेख है सरकार इस बारे में कब कार्रवाई करेगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अब मैं, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको पुन: धन्यवाद के साथ अपना भाषण पूरा करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, शून्य प्रहर के बारे में कहा था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई होगा।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, सभी संसद-सदस्यों के साथ मैं भी संसद के दोनों सदनों के समक्ष माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए कृपापूर्ण भाषण के लिए उनका आभार तथा धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, यह चर्चा काफी विचारोत्तेजक रही। ऐसे कई मुद्दे उठे जिन पर सरकार और अन्य संस्थाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हूं कि संसद उसी तरह से कार्य कर रही है जैसा कि उसे करना चाहिए। उर्दू का एक शेर है:

[हिन्दी]

"ये जब भी देखा है तारीख की नजरों ने
लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है।"

[अनुवाद]

पिछले तीन महीनों के दौरान जब संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी जा रही थी, मुझे आभार ऐसा लगा कि जैसे हम ऐसे एक दौर से ही गुजर रहे थे। मैं इस अवरोध को दूर करने में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा प्रदर्शित सदाशयता का धन्यवाद करता हूं और सदन अब सामान्य रूप से कार्यवाही जारी रखे हुए है - यह हमारे देश की संसद को सशक्त बनाए रखने के लिए सर्वसंभव योगदान करने के हमारे गहन तथा सतत संकल्प की ही अभिव्यक्ति है।

मैंने यहां दिए गए सभी भाषणों को पूरे आदरभाव

[डॉ. मनमोहन सिंह]

के साथ सुना। मैं सारे समय तो उपस्थित नहीं रह पाया लेकिन मेरे पास इसका विस्तृत ब्यौरा है। श्री राजनाथ सिंह, श्री मुलायम सिंह, श्री शरद यादव, श्री देवेगौड़ा तथा हमारे दल के कई सदस्यों - जिनमें श्री पी.सी. चाको और श्री मनीष तिवारी शामिल हैं - ने कई महत्वपूर्ण बातें उठाईं। मैं यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तथापि, मेरा विचार है कि संसद की चिंताओं का संक्षिप्त विवरण राष्ट्रपतिजी के भाषण के पैराग्राफ सं. 6 में संकलित है जिसमें महामहिम राष्ट्रपति ने वर्ष 2011-12 के लिए सरकार की पांच प्राथमिकताएं गिनाई हैं:-

1. मुद्रास्फीति पर अंकुश, विशेषकर खाद्य पदार्थों के मूल्यों की बढ़ोत्तरी के असर से आम आदमी का संरक्षण;

2. सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और शुचिता की कमी के सराकोर का प्रत्यक्ष समाधान;

3. यह सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास की गति बनाए रखना कि गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को विकास के लाभों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी मिले;

4. आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के मोर्चों पर अभेद्य सुरक्षा बनाए रखना; और

5. ऐसी विदेश नीति अपनाना जो सुनिश्चित करे कि विश्व मंच पर भारत की आवाज सुनी जाए और उसके हित संरक्षित रहें।

महोदया, मेरे विचार से उक्त संक्षिप्त ब्यौरे में सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंताओं का निरूपम है। कुछ सदस्यों ने सरकार के प्रयासों की सराहना की; कुछ ने यह कहते हुए आलोचना की कि हमारे प्रयास अपर्याप्त, आधे-अधूरे हैं और कुछ ने हमारे उद्देश्य पर ही शंका व्यक्त की। मैं हमेशा यह मानता रहा हूं कि संसदीय प्रणाली में जो चर्चा होती है उसमें व्यापक प्रश्न लिए जा सकते हैं परन्तु यदि उद्देश्य पर ही शंका की जाने लगे तो, मेरे विचार से, यह संसदीय प्रणाली के स्वस्थ विकास हेतु अच्छी बात नहीं है।

महोदया, जहां तक मुद्रास्फीति का संबंध है, मैं यह मानने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा कि पिछले 18 महीने में मुद्रास्फीति एक समस्या बन गई है। इसके कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर हमारा काबू नहीं है। सबसे पहले तो, 2009 में जो सूखा पड़ा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण साग-सब्जी और प्याज जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन प्रभावित हुआ।

विश्वभर में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब तेल की लागत 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। दुनिया भर में खाद्य-स्थिति बिगड़ी है। तिलहन और वनस्पति तेल जैसी जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं, उनका वैश्विक मूल्य बढ़ गया है। इन सब स्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन कुछ वस्तुओं के मूल्य में हम नियंत्रण रख सकते हैं। आपके माध्यम से सभा के माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक अनाज के मूल्य का संबंध है। चूंकि भारतीय खाद्य निगम और हमारी अन्य सरकारी प्रापण एजेंसियों के जरिये हमने अच्छा अन्न भण्डार एकत्र कर लिया है इसलिए हम अनाज, गेहूं और चावल के मूल्य को स्थिर रखने में समर्थ हुए हैं। हालांकि, साग-सब्जी, मांस और दूध इत्यादि के मामले में दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन, इनमें से कुछ की स्थिति हमारे काबू से बाहर है। सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की है कि हम मुद्रास्फीति को इस तरह नियंत्रित करें जिससे रोजगार-अवसरों की वृद्धि न रुके। और, मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष पूरे आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने अनियंत्रित ढंग से कोई कार्रवाई की तो उस विकास-प्रक्रिया का हनन होगा जो हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करने का एकमात्र स्रोत है। इस कारण, मुद्रास्फीति के नियंत्रण और रोजगार की सुरक्षा के बीच के इस नाजुक संतुलन को काफी सावधानीपूर्वक साधना पड़ रहा है जिस कारण आम आदमी को कभी-कभी लगता है कि हम मुद्रास्फीति को लेकर कोई चिंता नहीं कर रहे। परन्तु, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने हेतु प्रतिबद्ध है। मुझे आशा है कि इस वित्त वर्ष के अंत तक मुद्रास्फीति-दर, कम से कम शीर्ष मुद्रास्फीति-दर, सात प्रतिशत के करीब पर जाएगी। खाद्य-मूल्यस्फीति भी चिंता का कारण बनी हुई है। तथापि, हाल ही में स्थिति सुधरी है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसमें सुधार होगा। फिर भी, भारत जैसे देश में जहां कृषि-मूल्य मूल्य-ढांचे का आधार है, मुद्रास्फीति-नियंत्रण का एक मात्र उपाय कृषि-उत्पादन तथा उत्पादकता की वृद्धि ही है।

मैं समझता हूं कि श्री मुलायम सिंह जी और श्री देवगौड़ाजी ने कृषकों की बुरी हालत के बारे में चिंता जताई है। उनकी इस चिंता को मैं समझता हूं कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा। खरीद-मूल्य नियत करके

हमने गन्ने, गेहूं और चावल के लिए अच्छा और पर्याप्त लाभकारी क्रय मूल्य देने की कोशिश की है। फिर भी, कई वस्तुओं को खरीद-प्रणाली के अंतर्गत लाना संभव नहीं है। इसलिए, यदि ये वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली हैं और कम मात्रा में उपलब्ध हैं तो इनके मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि दीर्घकाल में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का केवल एक तरीका यह है कि कृषि क्षेत्र में निवेश किया जाए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यकरण में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। परंतु मैं नहीं समझता कि यह कोई मुद्दा है जिस पर सदन विभाजित हो सकता है। सरकार बहुत गंभीर है और यह अपनी प्रतिबद्धता को बहुत गंभीरता से लेती है कि कृषि में विकास को सुदृढ़ करने तथा उत्पादकता में वृद्धि को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, को सुदृढ़ करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्नों के मूल्य को स्थिर करने की हमारी कार्यनीति का मुख्य आधार है। जब हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आयेंगे, मुझे विश्वास है कि मुद्रा-स्फीति को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का हम और विस्तार करेंगे।

मैं इस सम्मानीय सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही इस सभा में हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की प्रणाली पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने पर कार्य कर रहे हैं।

महोदया, दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी के आभाव के बारे में है और राष्ट्रपति महोदया ने भी इसका विशेष उल्लेख किया है और इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। जो मैं उठाना चाहता हूं और जिसका राष्ट्रपति महोदया ने भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करूंगा कि दूरसंचार तथा राष्ट्रमंडल खेलों के क्षेत्र में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इन चिंताओं का समाधान किया जा रहा है। जैसे ही और ज्यों ही हमें विश्वसनीय और कार्यवाही करने योग्य साक्ष्य मिले हैं हमने कार्यवाही की है। मुख्य मंत्रियों को त्यागपत्र दिया है; मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो गलत कार्य करने वालों के पीछे पड़ी है और मैं सम्माननीय सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम अपने सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेंगे।

महोदया, दूरसंचार नीति के संबंध में मैं इस सभा के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। मेरा अपना विचार है कि जहां तक संप्रग सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीति का संबंध है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह ट्राई द्वारा दी गयी सलाह के अनुरूप थी, यह अधिकतम दूर-संचार घनत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने, जिनकी हम सबने आवश्यकता महसूस की थी, के अनुरूप थी। और यदि आप दूर-संचार घनत्व के आंकड़ों को देखें, तो जब मार्च 2004 में हमारी सरकार सत्ता में आई, ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार घनत्व 1.55 प्रतिशत था, शहरी क्षेत्रों में 20.29 प्रतिशत था और देश में कुल मिलाकर 7.02 प्रतिशत था। पिछले छह वर्षों में, जब हम दिसम्बर, 2010 के आंकड़ों को देखते हैं, ग्रामीण भारत में दूर-संचार घनत्व 31.22 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में यह 147.52 प्रतिशत और हमारे पूरे देश में कुल दूर-संचार घनत्व मार्च, 2004 के 7 प्रतिशत से बढ़कर दिसम्बर, 2010 में 66 प्रतिशत हो गया है।

लोग घोटाले की चर्चा करते हैं और यदि कोई घोटाला हुआ है तो इससे जरूर निपटना चाहिए। कानून के तहत गलत कार्य करने वालों को सजा दी जानी चाहिए। परंतु हमें दूरसंचार क्षेत्र में हुई असाधारण वृद्धि की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमारी सरकार द्वारा अपनायी गयी ठोस नीतियों के परिणाम स्वरूप हुई है। 1999 में तत्कालीन रा.ज.ग. सरकार ने दूरसंचार संसाधनों के आबंटन की प्रणाली में परिवर्तन किया था। उस समय राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की आवश्यकता थी क्योंकि आपरेटर अपनी पूर्ववर्ती प्रतिबद्धता का पालन नहीं कर पाए जो उन्होंने बोली की प्रक्रिया के माध्यम से दर्शायी थी। इसलिए 1999 में बोली की इस प्रक्रिया को पलट दिया गया था। इसके स्थान पर राजस्व में हिस्सेदारी का मॉडल शुरू किया गया। हमारी सरकार ने कुल मिलाकर राष्ट्रीय दूरसंचार नीतियों में निर्धारित नीतियों का पालन जारी रखा है।

मैं सोचता हूं कि इस नीति में काफी फायदा हुआ है। लोग मुझसे पूछते हैं कि फिर इन गलतियों के बारे में इतनी चिंता क्यों है। मेरा उत्तर यह है कि जब मैंने 2007-2008 में दूरसंचार की स्थिति को देखा, तो मेरे पास यह प्रस्ताव आया था कि मंत्रालय ने नीलामी की प्रक्रिया न अपनाने का निर्णय लिया। उस समय उसे दूरसंचार विनियमन प्रणाली, ट्राई की तकनीकी शाखा का समर्थन प्राप्त था, उसे संबंधित मंत्रालय का समर्थन प्राप्त था और मैंने यह महसूस किया कि एकसमान अवसर दिए

[डॉ. मनमोहन सिंह]

जाने के लिए यह पूरी तरह से समुचित था कि हम उसी रास्ते का अनुसरण करें जिसका हम 2007 तक पालन कर रहे थे।

बाद में यह हुआ कि यद्यपि यह नीति उचित थी, पर इसे जिस तरीके से लागू किया गया, उससे समस्याएं उत्पन्न हुईं। इन समस्याओं की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की जाएगी; लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जांच की जा रही है; और यदि कोई आपराधिक पहलू है तो उस पर केन्द्र में अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। हमारी सरकार इन एजेंसियों तथा इन सभी कंपनियों के साथ पूरा सहयोग करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सच्चाई सामने आए और दोषी को दंडित किया जा सके।

महोदया, हमने राष्ट्रमंडल खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। उस समय की हमारी सभी शंकाओं के बावजूद, ये खेल अत्यन्त सफल रहे। स्वर्ण पदक और अन्य पदकों की संख्या बहुत प्रभावित करने वाली है और इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैं भारत के युवाओं को बधाई देना चाहता हूं।

इन खेलों के पूरा होने से पहले ही गलतियों के बारे में शिकायतें हैं और पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मैंने देश से वायदा किया था कि यदि कोई गलत काम हुआ तो हम उस मामले की जांच करेंगे और दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उस वायदे को पूरा किया गया है। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। इसकी पहली रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उस रिपोर्ट की सिफारिश की तर्ज पर सरकार ने तेजी से प्रभावी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों द्वारा अन्य मुद्दों की भी जांच की जा रही है।

इन सभी मामलों में, मैं सोचता हूं कि यह हमारा कर्त्तव्य है और इस सभा से मेरा वादा है कि हम यह सुनिश्चित करने से पीछे नहीं हटेंगे कि कोई भी दोषी व्यक्ति हमारी विधि प्रणाली में प्रावधान किए गए दण्ड से बच नहीं सके।

महोदया, तीसरा मुद्दा जिसमें जनमानस को उद्वेलित किया है वह ट्रांसपोंडर लीज के संबंध में अंतरिम देवास समझौते से संबंधित है जिस पर वर्ष 2004 में हस्ताक्षर किये गये थे। मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। ऐंट्रिक्स कॉरपोरेशन का जनवरी, 2005 में देवास मल्टी मीडिया सर्विसेज के साथ एक व्यापारिक समझौता हुआ था जो इसरो द्वारा दो ट्रांसपोंडरो के निर्माण की लीज से संबंधित था।

यह उनके अपने प्राधिकार के अधीन किया गया। परंतु अंतरिक्ष को संविदा को लागू करने के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता थी। अनुमोदन नहीं दिया गया था। विशेष रूप से विभिन्न मंत्रालयों से प्रचालनात्मक लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन नहीं प्रदान किए गए थे और इसलिए संविदा लागू नहीं हो पायी तथा बढ़ती राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रणनीतिक आवश्यकताओं के मद्देनजर उत्पन्न शिकायतों को देखते हुए सरकार ने दिसम्बर, 2009 में इस संविदा की समीक्षा की। इसके बाद जुलाई 2010 में अंतरिक्ष आयोग ने ठेका रद्द करने का निर्णय लिया। तबसे, सरकार ने देश की सामरिक आवश्यकताओं के बारे में एक निर्णय लिया है कि वह एस-बैड की मौजूदा संविदागत बाध्यताओं के मामलों सहित वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए अंतरिक्ष को एस-बैड में आखिर स्लाट मुहैया कराने में सक्षम नहीं होगी। निर्णय के अनुसरण में ठेके को रद्द करने के लिए कार्यवाही की गई है।

महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अंतरिक्ष अथवा देवास को कोई भी टैरिस्टिरियल स्पेक्ट्रम का आबंटन नहीं किया गया है इसलिए, कुछ सदस्यों द्वारा उद्धृत किये गये लाख करोड़ के मूल्य निर्धारण के आंकड़े आधारहीन हैं।

महोदया, मैं इस सम्मानित सभा में यह उल्लेख करना चाहता हूं कि भारतीय और विदेशी गैर-सरकारी पार्टियों के लिए उपग्रह सेवाएं शुरू करने का निर्णय तात्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 1997 में लिया और अनुमोदित किया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तदुपरांत ट्रांसपोंडर के पट्टे के मूल्यनिर्धारण की कार्यविधि सहित इस नीति को लागू करने के मानदंड, दिशानिर्देश तथा प्रक्रिया को वर्ष 2000 में एन.डी.ए. सरकार के शासन काल में अनुमोदित किया गया था। सरकार ने 10 फरवरी 2011 को समझौते के तकनीकी, वाणिज्यिक, प्रक्रियागत तथा बिक्री पहलुओं की समीक्षा करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने और चूक, यदि कोई हो तो, का उत्तरदायित्व निर्धारित करने और अंतरिक्ष, इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा पालन की गई प्रक्रिया और अनुमोदन प्रक्रियाओं की पर्याप्ता की समीक्षा करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा समिति का गठन किया है।

महोदया, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश को हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की शानदार उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व है। सरकार भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता और हमारे वैज्ञानिकों के इमानदारीपूर्ण प्रयासों के बनाये रखने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

महोदया, तीसरा मुद्दा यह सुनिश्चित करने का है कि गरीब, कमजोर तथा वंचित वर्गों को विकास के लाभ में उचित हिस्सेदारी प्रदान करते हुए विकास की रफ्तार को बनाये रखने का है। महोदया, संपूर्ण विश्व सितम्बर, 2008 के अप्रत्याशित वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारत के आर्थिक विकास की प्रशंसा करता है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं लोग पूछते हैं कि भारत जैसा देश किस प्रकार 7.5 प्रतिशत की विकास दर बनाये रखे हुए है और यहां तक कि 9% विकास दर प्राप्त करना चाहता है जबकि संपूर्ण विश्व मंदी की चपेट में है। मेरे विचार से इसका श्रेय भारत के उद्योगपतियों को जाता है। इसका श्रेय हमारे किसानों को जाता है। इसका श्रेय भारतीय कामगारों को जाता है जिससे हमने विकास की प्रक्रिया की रफ्तार को बनाये रखा है। यहां तक कि इस वर्ष भी हमारी विकास दर 8.5% रहेगी। इस अवसर पर, मैं अपने सहयोगी, श्री प्रणब मुखर्जी को हमारी अर्थव्यवस्था को भलीभांति संभालने के लिए बधाई देता हूं।

मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारत में अभी भी व्याप्त व्यापक स्तर पर मौजूद गरीबी की समस्या का एक सार्थक हल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के ढांचे में ही पाया जा सकता है। पिछले चार या पांच वर्षों में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने हमें अधिक कर संसाधन जुटाने में सक्षम बनाया है। इन संसाधनों को सामाजिक समावेशन और आर्थिक समावेशन के लिए अग्रणी कार्यक्रमों हेतु अधिकाधिक उपयोग किया गया है और केवल यह एक तरीका है जिससे हम अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता की समस्या और हमारे कपड़ों, लोग जिन बीमारियों से अभी भी ग्रसित है उन्हें दूर कर सकते हैं। इसलिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जब हम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हम उनमें त्रुटि पा सकते हैं परन्तु ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत भाग्य और परिस्थितियों के अधीन है, भारत रास्ता भटक चुका है, और इस देश को आगे ले जाने का उत्साह अब दिखाई नहीं दे रहा है।

महोदया, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार 9 से 10 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन घरेलू स्रोतों से प्राप्त हों और हमारी बचत और निवेश दर जो कि 35 से 37 प्रतिशत तक है उसका विकास प्रक्रिया को सतत् बनाने में हरसंभव योगदान प्रदान करें और हम बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे वंचित वर्गों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए हमारी सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु अधिकाधिक संसाधनों का उपयोग करेंगे।

महोदया, केवल इसी वर्ष पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 46 लाख अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे जो कि अब तक का रिकार्ड है। यह एक प्रक्रिया है जिसे हमारे बच्चों और सभी युवाओं विशेषकर, वंचित वर्गों के युवाओं को लाभप्रद रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता है।

महोदया, मैंने सभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया है जो प्रक्रियाधीन है। यदि इसे लागू किया जाता है तो यह देश के पीड़ित लोगों के आंसू पोछने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के माध्यम से किए गए प्रयासों की पूर्ति करेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम गत 5 से 6 वर्षों में गरीबी उन्मूलन करने में सफल रहे हैं। देश में विशेषकर देश के कतिपय क्षेत्रों जैसे जनजातीय क्षेत्रों में काफी गरीबी है। हम उन क्षेत्रों के लिए कुछ करने के अपने दायित्वों को जानते हैं परन्तु हमें उन क्षेत्रों में अत्यंत गरीबी को कम करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कृषि श्रमिकों को आय का मंच प्रदान करती है जब उन्हें किसी अन्य तरीके से रोजगार नहीं मिलता है। अधिकांश राज्यों में फिलहाल 100 रु. प्रतिदिन न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है इसे बढ़ा कर 130 रु. कर दिया जाना चाहिए। एक महीने में प्रतिदिन 130 रु. पारिश्रमिक और यदि पूरे 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध होता, तो मेरे विचार से इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आय अर्जित करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच बनाया गया है।

यदि हम खाद्य सुरक्षा विधेयक लाते हैं, जो अत्यंत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रदान करता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करेगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों, अल्प संख्यक बच्चों को शिक्षा

[डॉ. मनमोहन सिंह]

और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के संबंध में कार्यक्रम है। केवल इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि वह महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की समीक्षा करे कि इनमें कोई खामियां तो नहीं है। मनरेगा में खामियां हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देश के विभिन्न भागों में इन कार्यक्रमों का निष्पादन भिन्न भिन्न है। कुछ उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमारा प्रयास होगा कि खामियों पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकारों पर बल दें। अर्थव्यवस्था की विकास गति को और वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग और समाज के निर्धनतम वर्गों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिए जाने के द्वारा हमारी विकास प्रक्रिया के पुनर्वितरण पहलुओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

महोदया, समय समय पर एक मुद्दा जो काले धन से संबंधित है उठता रहा है और जो गत चुनावों के दौरान भी उठाया गया था। हम सब इस कुव्यवस्था को साफ करना चाहते हैं। परन्तु हम सभी यह जानते हैं कि काले धन का संग्रहण गत चार अथवा पांच वर्षों के दौरान नहीं हुआ है। यह काफी लम्बे समय से होता रहा है और हमने इससे निपटने के प्रयास किए हैं। 1991 में किए गए आर्थिक सुधार केन्द्र सरकार के विवेकाधीन शक्तियों के दायरे को कम करने का एक प्रयास था जिससे कि मनमाने संव्यवहार और काले धन के संग्रहण की कम से कम सम्भावना हो सके। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने हमारी विकास की गति को बहाल करने में सहायता की है। कुछ हद तक इसने काले धन के दायरे को कम करने में भी सहायता की है। परन्तु मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि अभी हमें लम्बा रास्ता तय करना है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कार्यकुशलता के प्रोत्साहन हेतु देश में और अधिक प्रतियोगिता की आवश्यकता है। परन्तु साथ ही उचित प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसका मुख्य प्रयोजन पर्यावरणीय अनुकूल नीति की अनदेखी न किया जाए। पर्यावरण और विकास के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। हम किसी की भी अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक अत्यंत संवेदनशील विनियामक व्यवस्था की आवश्यकता है। परन्तु यदि हम विनियामक व्यवस्था की बात करते हैं हम विवेकाधिकार के दायरे को खोलने की बात भी करते हैं। अतः विनियामक ढांचे की समीक्षा की जानी चाहिए। यद्यपि हम सुदृढ़ विनियामक प्रणाली की आवश्यकता को समझते हैं परन्तु यह लाइसेंस परमिट राज को वापसी के मार्ग पर पुनः न पहुंच जाए। आर्थिक कार्यकलापों के माध्यम से कालेधन के सृजन के नियंत्रण का एक पहलु है।

कालेधन के सृजन का एक अन्य स्रोत कर अपवंचन है और मैं ऐसा मानता हूं कि वर्षों से विशेषकर 1991 से हमारी कर व्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों सही दिशा में अग्रसर है और शेष में पहले की तुलना में कर अपवंचन की कम गुंजाइश है और केन्द्रीय सरकार के कर राजस्व की विकास दर के आकर्षक आंकड़े स्पष्ट साक्ष्य है।

परन्तु, आपराधिक गतिविधियां, मानव दुर्व्यापार और स्वापकों जैसे कुछ नए स्रोत हैं। ये सभी अधिक महत्वपूर्ण बन गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होने के साथ-साथ दुर्भाग्यवश इन गतिविधियों में भी वृद्धि होने की संभावना होती है। अतः, काले धन की समस्या से निपटने के लिए हमें विनियामक और पर्यवेक्षणीय आधार के उस भाग को मजबूत बनाने की आवश्यकता है जो कि इन प्रवृत्तियों का सामना और उन पर नियन्त्रण लगा सकता है तथा गलत कार्यों पर रोक लगा सकता है।

कार्यवाही की गई है। श्री प्रणब मुखर्जी ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की है। हम संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क कर रहे हैं। यदि यह धनराशि विदेशों में रोककर रखी जाती है तो हम संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क करेंगे। यदि इस संबंध में कुछ कानूनी प्रतिबंध है तो हम नई कानूनी संधियों पर वार्ता करने का प्रयास कर रहे है, जिससे जानकारी का आसानी से आदान प्रदान होगा।

मैं सभा को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि कालेधन विशेष रूप से विदेशों में जमा कालेधन के प्रश्न पर हम यह कहते हुए विपक्ष के साथ हैं कि भारत में इस धनराशि को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं क्योंकि यह धनराशि हमारी है। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपर सभा में कोई मतभेद हो। हम सभी दलों के साथ बैठकर उनका सहयोग चाहते हैं और उनके सुझाव आमंत्रित करते हैं कि हम दिशा में क्या कार्य कर सकते हैं और कितनी शीघ्रता से कर सकते हैं। काले धन की समस्या का समाधान करने के मामले में हम पूर्णतः स्पष्ट हैं। सभी सकारात्मक सुझावों का स्वागत है।

अध्यक्ष महोदया, मैं राष्ट्रपति महोदया द्वारा उल्लिखित चौथे मुद्दे पर आता हूं कि हम आंतरिक और बाहरी

सुरक्षा के मोर्च पर हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हमारे समक्ष कई चुनौतियां हैं। हमारे समक्ष आतंकवाद की चुनौती है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या है। हमारे देश के उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में उग्रवाद की समस्या है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि हमने इन समस्याओं का समाधान कर लिया है। परन्तु, इन पर कुछ रोक लगाई जा चुकी है। आतंकी गतिविधियों के संबंध में मेरी सरकार और हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा देश में आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है। बहु एजेंसी जांच केन्द्र मौजूद है। आतंकवाद रोधी कदमों को मजबूत किया जा रहा है और इसके परिणाम देखे जा सकते हैं परन्तु इसमें ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सदैव सतर्क रहेंगे कि आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में सफल न हों।

आतंकवाद को किसी विशेष धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है। अतः, हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें यह देश एकजुट होकर आतंकवाद की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। इससे संगठित होकर इस संकट का सामना और इस संकट को दूर किया जा सकेगा।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): गृह मंत्री जी ने भगवा आतंकवाद का उल्लेख क्यों किया? इससे उनका क्या मतलब है?...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

डॉ. मनमोहन सिंह: महोदया, वामपंथी उग्रवाद के संबंध में, हमें दृढ़ता और अत्यधिक संवेदनशीलता से इस मामले को सुलझाना है। हम अपने देशवासियों पर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि कभी-कभी आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोग वामपंथी उग्रवाद की ओर जाते हैं। अतः हमें द्विआयामी रणनीति अपनानी होगी। हमें विकास की रणनीति अपनानी होगी, जनजातीय समुदायों मध्य भारत के समुदायों जहां उग्रवाद अपना विषैला फन उठा रहा है के भविष्य के लिए आशा की एक किरण पैदा करनी है। इसलिए हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित साठ जिलों हेतु एक समेकित विकास कार्यक्रम तैयार किया है। आगामी वर्षों में यह कार्यक्रम का और सुदृढ़ होना चाहिए ताकि जनजातीय युवा भटक कर वामपंथी उग्रवाद का रास्ता न अपनाए। आप इस बात पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं कि केन्द्र सरकार की राज्य सरकारों के सहयोग से वामपंथी उग्रवाद के इस संकट को दूर करने की तीव्र इच्छा है।

उत्तर पूर्व के संबंध में, मणिपुर और असम के कुछ भागों में मौजूदा स्थिति चिंता का कारण है। परन्तु, कुल मिलाकर स्थिति में सुधार हुआ है। हाल ही में, मुख्य चरमपंथी समूह उल्फा के नेतृत्व ने हिंसा का मार्ग छोड़कर सरकार के साथ विचार विमर्श और वार्ता करने के मार्ग को उचित समझा है। मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। मैं वर्ष 2005 से ही उल्फा के साथ संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार मैं सफल हो गया था लेकिन बाद में उन्होंने पांव पीछे खींच लिया। मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने अब चर्चा करने और संवाद करने के हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है। यह सकारात्मक बात है। हमें दोनों पक्षों को व्यवस्था बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे इन चर्चाओं का संतोषजनक परिणाम निकलेगा।

जम्मू-कश्मीर के बारे में विशेष रूप से पिछली गर्मी में हम बड़े कठिन दौर से गुजरे हैं। लेकिन तब से स्थिति बदली है। लेकिन हम असमंजस की स्थिति में हैं। मैं आशा करता हूं कि इस गर्मी में हम यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सतर्क होंगे कि पिछली गर्मी में जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं, वह दुबारा न हो। जम्मू-कश्मीर की समस्या पर हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम अलगाववादी तत्वों को कोई स्थान नहीं देंगे। हम जम्मू-कश्मीर के युवाओं के साथ उचित व्यवहार करने तथा उन्हें लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के हाथों को मजबूत करने हेतु यथासंभव कार्य करेंगे। मैंने डॉ. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समूह की नियुक्ति की है जो कश्मीरी युवाओं को पचास हजार से एक लाख नौकरियां देने के लिए एक योजना बनाएगा। रिपोर्ट लगभग तैयार है। मैं आशा करता हूं कि एक बार हम इसका क्रियान्वयन शुरू कर देते हैं और ये बड़े सटीक प्रस्ताव हैं जहां स्वयं भारतीय उद्योग कश्मीरी युवकों को रोजगार देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है और यदि हम घाटी और कश्मीर के अन्य भागों के एक कारक छात्रों के लिए रोजगार का सृजन करें तो मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि यह कश्मीर के लोगों की सोच को बदल देगा। यह सभी

[डॉ. मनमोहन सिंह]

राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसा कुछ न करें जो जम्मू-कश्मीर में विद्यमान शांतिपूर्ण माहौल को खराब करें।

विदेश नीति के संबंध में हमारी नीति अपने पड़ोसियों के साथ यथा संभव मित्रवत रही है। मैंने कहा है और मैं अब भी कहता हूं कि हमारे उप-महाद्वीप का पूर्ण विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हो जाते। मैं उस उद्देश्य के लिए 2005 से कार्य कर रहा हूं। कुछ प्रगति हुई थी लेकिन तभी चूक हो गई। आतंकवादी तत्व निश्चित रूप से नहीं चाहते कि शांति कायम करने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन मैं आश्वस्त हूं और विश्वास करता हूं कि पाकिस्तान और उसके प्रबुद्ध लोगों में ऐसी धारणा बन रही है कि आतंकवाद एक ऐसा साधन नहीं है जिसका उपयोग किसी सभ्य सरकार द्वारा राज्य की नीति के साधन के रूप में किया जाए। मेरी पूरी आशा और विश्वास है कि पाकिस्तान का नया शासक वर्ग दोस्ती के हमारे हाथों को थामेगा और यह स्वीकार करेगा कि हमारे चाहे जो भी मतभेद हों, राज्य नीति के साधन के रूप में आतंक का उपयोग सभ्य समाज द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आज हम ऐसे परिवेश में हैं जिसमें बातचीत आगे जा सकती है। आशा के संकेत मिल रहे हैं। थिंदू में दोनों विदेश सचिवों की बैठक के बाद उन्होंने बातचीत प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई है और केवल इसी माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के साथ सभी शेष मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे हैं बशर्ते वह भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल होने न दे।

जहां तक श्रीलंका की बात है वहां शांति लौट रही है। हम पूरी आशा करते हैं कि यह श्रीलंका सरकार अल्पसंख्यकों विशेषरूप से तमिल अल्पसंख्यकों के राजनीतिक न्यागमन सहित उचित व्यवहार किए जाने की आवश्यक्ताओं पर ज्यादा ध्यान दे सकेगी। हम इस आवश्यकता के बारे में श्रीलंका सरकार को सहमत करते रहे हैं और हम उन पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तैयार करते रहेंगे कि तमिल अल्पसंख्यकों को गरिमामय और आत्मसम्मान का जीवन जीने के लिए श्रीलंका के शासन प्रणाली में भागीदारी दी जाए। समय-समय पर भारतीय मछुआरे समस्या में पड़ जाते हैं और हाल की घटनाओं में कुछ मछुआरों को मार दिया गया है। भारी संख्या में मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। हमने इस मामले को श्रीलंका के साथ उठाया है। गिरफ्तार मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन दोनों देशों के मछुआरों के बीच तनाव पैदा करने के बार-बार प्रयासों के संबंध में हमें, स्थायी समाधान खोजना होगा। हम श्रीलंका सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे कि यदि हमारे मछुआरे पानी में भटक भी जाए तो भी वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरे विचार में वे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं लेकन उन्हें उन लोगों को मारना नहीं चाहिए। यह बात हमारे लोगों को स्वीकार्य नहीं है।

महोदया, कुल मिलाकर भारत की विश्व में पहले की तुलना प्रतिष्ठा बढ़ी है। जब भी मैं विदेश जाता हूं, लोग सौ करोड़ जनसंख्या वाले देश के अस्तित्व के बारे में अचरज करते हैं जिसमें इतनी विविधता है, इतनी गरीबी है तो भी यह देश कार्यशील लोकतंत्र के ढांचे में, लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के ढांचे में, कानून के शासन के प्रति वचनबद्धता सभी मौलिक मानवाधिकारों के प्रति वचनबद्धता के ढांचे में अपनी आर्थिक एवं सामाजिक उन्मुक्ति खोजने की कोशिश कर रहा है। मैं गंभीरता से आशा करता हूं कि हम जो भी करते हैं, हमें इन विशेषताओं में गर्व महसूस करना चाहिए क्योंकि हम मानव प्रजाति के छठे हिस्से हैं। यदि भारत लोकतंत्र के माध्यम से कानून के शासन के प्रति वचनबद्धता के माध्यम से, सभी मूलभूत मानवीय स्वतंत्रता के लिए आदर के माध्यम से अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्मुक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो मैं यह कहने का साहस करता हूं कि हम पूरे विश्व की बेहतरी के लिए परिवर्तन संदेश के अग्रदूत हो जाएंगे।

इसलिए भारत के पास संदेश है। वह संदेश है, लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का, पंथनिरपेक्षता की ताकतों के सुदृढ़ीकरण का, स्त्री पुरुष समानता की सतत तलाश का संदेश - कि उस घटना से सामाजिक और आर्थिक समता जरूर आनी चाहिए। हमारे गणतंत्र के संस्थापकों द्वारा हमें ये मार्ग निर्देशक सिद्धांत प्रदान किए गए हैं। ये वे सिद्धांत हैं जो हमारी सरकार का मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे तथा मैं आशा करता हूं कि ये वे सिद्धांत हैं जिनकी तलाश इस सदन के सभी पक्ष-विपक्ष के सदस्यों को एक कर सकते हैं। महोदया, इसके साथ ही मैं महामहिम राष्ट्रपति को उनके कृपापूर्ण संबोधन के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं।

मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को पारित करे।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा कई संशोधन दिए गए हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(*व्यवधान*)

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक)**:** महोदया, कृपया मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(*व्यवधान*)*...

श्री अर्जुन चरण सेठी: कृपया मुझे केवल आधे मिनट बोलने की अनुमति दीजिए...। (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह (गाजियाबाद)**:** महोदया, मैं आपकी अनुमति से प्रधानमंत्री जी से एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। चीन के संबंध में मीडिया में तरह-तरह की खबरें आ रही हैं। भारत के जितने भी स्ट्रेटजिक लोकेशन्स हैं, चीन उनको रेल मार्ग, सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और पाक-आक्यूपाइड-कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान में जिस तरह से उसने अपने बंकर्स बना रखे हैं, उसको लेकर इस समय समस्त भारतवासी चिन्तित हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी फैक्चुअल पोजीशन क्या है, वस्तुस्थिति क्या है? कृपया वह सदन को इससे अवगत कराने की कृपा करें। (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

डॉ. मनमोहन सिंह: अध्यक्ष महोदया...

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: क्षमा करें। मुझे अभी कुछ कहना है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: एक माननीय सदस्य की तबियत ठीक नहीं है। इसी कारण मुझे सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करना है। हम फिर लौटेंगे। सभा अपराह्न 1.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.15 बजे पुनः समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव...*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री अर्जुन चरण सेठी। आप केवल एक छोटा स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक)**:** महोदया, मुझे अनुमति देने के लिए धन्यवाद। ओडिशा राज्य में बिना मौसम बरसात के कारण राज्य के किसानों के साथ समुचित व्यवहार नहीं हुआ। ओडिशा के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार केन्द्रीय टीम ने पहले ही दौरा किया है तथा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि राज्य को कोई राहत नहीं पहुंचाया गया है न ही केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कोई घोषणा ही की गयी है।

इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री और यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ मंत्रियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे ओडिशा के लोगों को उचित महत्व दें। ओडिशा की जनता और किसानों को बहुत दिक्कत हुई है। हम सब यह जानते हैं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनके लिए कुछ घोषणा करें क्योंकि सभी अन्य राज्यों को राहत प्रदान की गई है। आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को वहां टीम भेजे बगैर राहत प्रदान किया गया। मुझमें उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है पर सरकार को ओडिशा राज्य के लिए भी कुछ घोषणा करनी चाहिए।